दिनांक 08.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 09/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हरदोई/थाना कोतवाली शहर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 08.07.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सांडी चुंगी तिराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिशुपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिशुपाल निवासी गुलरीपुरवा थाना टडियावां जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद महोबा/थाना श्रीनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 08.07.2024 को थाना श्रीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने

पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त बत्ती उर्फ अरविन्द घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद महोबा, मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना श्रीनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बत्ती उर्फ अरविन्द निवासी छत्रसाल नगर छतरपुर थाना सिविल लाइन जनपद छतरपुर, म0प्र0।

बरामदगी

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि

जनपद रामपुर/थाना अजीमनगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी की भारी मात्रा में सोने–चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 19 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा भिन्न–भिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 08.07.2024 को थाना अजीमनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम खण्डिया से ग्राम महेन्दीनगर शुमाली जाने वाले तिराहा से 04 अभियुक्तों 1–आशिफ

2–शाहिद नूर 3–असरफ 4–इन्तेजार को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में सोने–चॉदी के आभूषण, चोरी के 19 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा भिन्न–भिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 29.06.2024 को थाना अजीमनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शाहिद नूर हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग व अभियुक्त आशिफ, असरफ, इन्तेजार के विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के लगभग आधा–आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–आशिफ निवासी दौकपुरी टाण्डा थाना अजीमनगर जनपद रामपुर।

2–शाहिद नूर निवासी सैमरालाडपुर थाना स्वार जनपद रामपुर।

3–असरफ निवासी सैमरालाडपुर थाना स्वार जनपद रामपुर।

4–इन्तेजार निवासी ग्राम गमनपुरा थाना स्वार जनपद रामपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की भारी मात्रा में सोने–चॉदी के आभूषण।

2–चोरी के 19 हजार रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा भिन्न–भिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 15 हजार रूपये नगद, 01 आईफोन बरामद**

दिनांक 08.07.2024 को थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रहना क्षेत्र के खाली ग्राउण्ड के पास से 04 अभियुक्तों 1–सचिन 2–अर्नब 3–राजकुमार 4–सूजल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के 15 हजार रूपये नगद, 01 आईफोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना उत्तर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना उत्तर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त सचिन शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना उत्तर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सचिन निवासी जैन नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

2–अर्नब निवासी हीरनगांव थाना टुण्डला जनपद फिरोजाबाद।

3–राजकुमार निवासी न्यूरामगढ़ थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

4–सूजल निवासी जैन नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के 15 हजार रूपये नगद, 01 आईफोन।

जनपद महराजगंज/थाना कोठीभार

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 41 हजार 570 रूपये नगद**
- **05 मोबाइल फोन**
- **01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद**

दिनांक 08.07.2024 को थाना कोठीभार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेलवा घाट के पास से 05 अभियुक्तों 1–अरबाज 2–अब्दुल हमीद 3–ज्ञान प्रकाश उर्फ गुड्डू 4–प्रदीप 5–श्रीकान्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 41 हजार 570 रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन, 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.07.2024 को थाना कोठीभार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोठीभार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोठीभार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरबाज निवासी त्रिलोकपुर थाना बासी जनपद सिद्धार्थनगर।

2–अब्दुल हमीद निवासी सिकटौर मानीराम थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।

3–ज्ञान प्रकाश उर्फ गुड्डू निवासी रामगुलाम टोला थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

4–प्रदीप निवासी खुटहवा इनार थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।

5–श्रीकान्त निवासी सिन्धी मिल कॉलोनी थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

बरामदगी

1–चोरी के 41 हजार 570 रूपये नगद।

2–05 मोबाइल फोन।

3–01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि।

- **जनपद देवरिया/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद देवरिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद देवरिया द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/324/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमरनाथ उर्फ अमर उर्फ भीष्म को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना मझिला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना मझिला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रेमकुमार उर्फ बच्चा को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद शाहजहाँपुर/थाना रोजा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना रोजा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजीव को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **कमिश्नरेट वाराणसी/थाना चोलापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा थाना चोलापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रितेश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सतंकबीरनगर/थाना बेलहरकला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/304(2) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पवन कुमार को 07 वर्ष के कारावास व 05 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।